दिनांक 25.09.2020
प्रेस विज्ञप्ति 28/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सीतापुर/थाना अटरिया

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **लूट में प्रयुक्त ट्रक, कार, लाक कटर ,नम्बर प्लेट व नम्बर स्टीकर, 02 अवैध तमंचा मय 04 जीवित 02 खोखा कारतूस.315बोर**

दिनांक 25.09.2020 को थाना अटरिया, सिधौली एवं क्राइम ब्रान्च उन्नाव व रायबरेली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मुजफ्फरपुर एवं गनेशपुर के मध्य बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मिथुन घायल हो गया, जिसे एक अन्य अभियुक्त साजिद के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट में प्रयुक्त ट्रक, किया सेल्टास कार, लाक कटर ,नम्बर प्लेट व नम्बर स्टीकर, 02 अवैध तमंचा मय 04 जीवित 02 खोखा कारतूस.315बोर बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मिथुन थाना इटौजा जनपद लखनऊ ग्रामीण पर पंजीकृत मु0अ0सं0–38/2020 धारा 394 भादवि से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बंध में थाना अटरिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1 मिथुन निवासी चिडावत थाना टोकखुर्द ,जनपद देवास ,मध्य प्रदेश।

2–साजिद निवासी ग्राम झोकर थाना मक्सी जनपद उज्जैन ,मध्य प्रदेश।

बरामदगी

1–लूट में प्रयुक्त ट्रक

2–किया सेल्टास कार,

3– लाक कटर

4–नम्बर प्लेट व नम्बर स्टीकर

5– 02 अवैध तमंचा मय 04 जीवित 02 खोखा कारतूस.315बोर ।

जनपद बागपत/थाना बिनौली

- **पुलिस कार्यवाही में 25—25 हजार रूपये के 04 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **लूट के 15 मोबाइल फोन, 04 अवैध तमंचा मय जीवित, खोखा कारतूस**
- **02 मोटरसाइकिल बरामद।**

दिनांक 25.09.2020 को थाना बिनौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजवाड़ा —दरकावदा मार्ग पर नहर पुलिया के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—अंकुर, 2— विशाल घायल हो गये, जिन्हें दो अन्य बदमाशों 3—सावन, 4—रिट्टू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 15 मोबाइल फोन 04 अवैध तमंचे मय जीवित/खोखा कारतूस, 02 मोटरसाइकिल आदि बरामद हुयी। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार चारो अभियुक्त थाना बिनौली क्षेत्र में घटित लूट की घटना व थाना चॉदीनगर के अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अंकुर निवासी सिरसलगढ़ ,थाना बिनौली जनपद बागपत ।
2—रिट्टू निवासी सिरसलगढ़ ,थाना बिनौली जनपद बागपत ।
3—सावन निवासी सिरसलगढ़ ,थाना बिनौली जनपद बागपत ।
4—विशाल निवासी मुकीमपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी

1—15 मोबाइल ।
2—4 अवैध तमंचा जीवित/खोखा कारतूस।
3—02 मोटरसाइकिल ।

जनपद प्रयागराज/थाना नवाबगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 81,000 रू0 नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित कारतूस, 01 पिस्टल 32 बोर, 03 जीवित कारतूस, 21 देशी बम, 02 लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूट की 01 मोटरसाइकिल व लूट का 01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 24.09.2020 को थाना नवाबगंज व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शहावपुर पुलिया के पास पुलिस कार्यवाही के दौरान 06 अभियुक्तों 1—रविचन्दन 2—मो0 सरफराज 3—शंकर 4—हरिकेश 5—राजू मौर्या 6—विनीत उर्फ बब्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 81,000 रू0 नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित कारतूस, 01 पिस्टल 32 बोर, 03 जीवित कारतूस, 21 देशी बम, 02 लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूट की 01 मोटरसाइकिल व लूट का 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्व जनपद के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

इस संबंध में थाना नवाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रविचन्दन उर्फ ननके नि0 बलीपुर थाना थरवई प्रयागराज।

2—मो0 सरफराज नि0 तुलसीपुर थाना सोरांव प्रयागराज।

3—शंकर नि0 हसनपुर कोरारी थाना थरवई प्रयागराज।

4—हरिकेश नि0 उसरी शिवगढ़ थाना सोरांव प्रयागराज।

5—राजू मौर्या नि0 कमलानगर थाना सारोंव प्रयागराज।

6—विनीत उर्फ बब्लू नि0 सैफ खानपुर चेहराज थाना बहरिया प्रयागराज।

बरामदगी

1—लूट के 81,000 रू0 नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित कारतूस, 01 पिस्टल 32 बोर, 03 जीवित कारतूस, 21 देशी बम, 02 लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूट की 01 मोटरसाइकिल व लूट का 01 मोबाइल फोन।

जनपद बस्ती/थाना पुरानी बस्ती

- **15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 25.09.2020 को थाना पुरानी बस्ती पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कडर से पुरस्कार घोषित अपराधी अली अहमद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना पुरानी बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 164/2019 धारा 419/420/467/468/471 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना पुरानी बस्ती पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अली अहमद नि0 कड़र थाना पुरारी बस्ती जनपद बस्ती।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार ,**
- **01 अवैध तमंचा मय 02 जीवित 01 खोखा कारतूस .315बोर**
- **01 मोटर साइकिल बरामद ।**

दिनांक 24.09.2020 की सायं थाना बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौकी उमरपुर के पास चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार 02 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें आरक्षी विनय कुमार घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अशफाक उर्फ पक्के घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जीवित 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्व जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, डकैती, गैंगेस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है, अभियुक्त थाना बुढ़ाना के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बंध में थाना बुढाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1 अशफाक उर्फ पक्के निवासी पांचली खुर्द थाना सरूरपुर जनपद मेरठ

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा मय 02 जीवित 01 खोखा कारतूस.315बोर

2–01 मोटर साइकिल बिना नम्बर ।

कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत प्रदेश में अबतक की गयी कार्यवाही–

आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के उल्लघन पर कुल **925** अभियोग पंजीकृत किये गये तथा **447** अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

धारा–15(3) एवं 15(4)उ0प्र0महामारी अधिनियम व महामारी कोविड–19 विनियमावली–2020 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थान पर मॉस्क, गमछा आदि न लगाने ,सोशल डिस्टेसिंग का उल्लंघन व थूकने आदि **पर कुल 25 लाख 16 हजार 389 लोगो का चालान किया गया ।**

धारा–15(5)**उ0प्र0महामारी अधिनियम व महामारी कोविड–19 विनियमावली–2020** का उल्लघंन करने पर कुल **03 लाख 34 हजार 270 वाहनों चालान** किये गये।

अबतक कुल 42 लाख 496 वाहनों का चालान किया गया तथा 74 हजार 55वाहनों को सींज किया गया ।

जनपद बदायूॅ/थाना वजीरगंज ,बिसौली ,सहसवान व बिल्सी (गैंगेस्टर एक्ट में 07 अपराधियों की 74 लाख 87 हजार 675 रूपये कीमत की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद बदायूॅ पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले 07 शातिर अपराधियों 1–उमर 2–अनवार ,3–सत्यपाल ,4–विकास , 5–वकील उर्फ वकीला ,6–इस्तगार ,7–बब्लू उर्फ अफजाल द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत. 74 लाख 87 हजार 675 रूपये की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

जनपद मुजफ्फनगर/थाना नईमण्डी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को सजा)

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0डी0जे0–8/स्पेशल कोर्ट पॉक्सों एक्ट द्वारा थाना नईमण्डी पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सों एक्ट में अभियुक्त साजिद को 25 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

———